विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-04/18

श्री देवेन्द्र जैन, — **आवेदक**
सूरज नगर, हल्का नं0 41/40,
भदभदा, भोपाल (म0प्र0) – 462044

विरूद्ध

उप महाप्रबंधक, — **अनावेदक**
शहर संभाग (दक्षिण),
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
भोपाल (म.प्र.)

आदेश
(दिनांक 17.09.2019 को पारित)

01. श्री देवेन्द्र जैन, सूरज नगर, हल्का नं0 41/40, भदभदा, भोपाल (म0प्र0) द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा जारी प्रकरण क्रमांक बी.टी. 29/2017 में पारित आदेश दिनांक 13.02.2018 से असंतुष्ट होकर अपील अभ्यावेदन दिनांक – निरंक सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

02. दिनांक 16.05.2019 को सुनवाई में आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं एवं अनावेदक की ओर से उनके अधिकृत अधिवक्ता श्री सी.के. वलेजा उपस्थित हुए ।

03. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल क्षेत्र के आदेश दिनांक 13.02.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक – निरंक विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जो कार्यालय में दिनांक 02.04.2018 को प्राप्त हुआ तथा जिसे प्रकरण क्रमांक एल00–04/18 पर दर्ज किया गया ।

04. आवेदक द्वारा प्रकरण में निम्न निवेदन किया :–

The decision was not dispetered by the CGRF, Bhopal authority was collected on 17th of March 2018 by head delivery from CGRF office.

(i) Wrongly Punchanama was prepared, no laod test was taken.

(ii) The load recarded the meter found faulty. Same was upload with new.

(iii) Forum decision was given on faulty meter.

(iv) No bill was prepared within 30 day. No hearing was conducted.

(v) Bill was also not given during presciped period.

(vi) We have appled for shifting of High Tension line tem will was given.

05. अभ्यावेदन में निम्नानुसार राहत की मांग की गई है :–

CGRF has given wrong decision without going through the fact wrong decision should be reviewed.

06. प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक 14.05.2018 को नियत की जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी किए गए । तत्कालीन समय नियमित विद्युत लोकपाल की नियुक्ति न होने के कारण प्रभारी विद्युत लोकपाल द्वारा नियमित विद्युत लोकपाल की पदस्थापना की प्रत्याशा में प्रकरण में सुनवाई न की जाकर सुनवाई आगे बढ़ाई जाती रही । अन्ततः माह अप्रैल 2019 में नियमित विद्युत लोकपाल के पदग्रहण करने के पश्चात प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.04.2019 को नियत थी । चूंकि इस दिनांक को समस्त लंबित प्रकरण की सुनवाई एक ही दिन नियत की गई थी जो कि व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं था, अतः सभी प्रकरणों की सुनवाई पुनः ही पुनर्निर्धारित (Re-schedule) की गई और प्रश्नाधीन प्रकरण में सुनवाई की दिनांक 03.05.2019 नियत की जाकर दोनों पक्षों को तद्नुसार नोटिस जारी किए गए ।

07. दिनांक 03.05.2019 को सुनवाई में आवेदक एव अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । तथापि सुनवाई के एक दिन पूर्व दिनांक 02.05.2019 को अनावेदक उपमहाप्रबंधक शहर संभाग दक्षिण के अधिकृत अधिवक्ता श्री सी.के. वलेजा की ओर से प्रश्नाधीन अभ्यावेदन को प्रथमदृष्टयाः निरस्त किए जाने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 02.05.2019 पत्र–वाहक द्वारा इस विद्युत लोकपाल कार्यालय को प्रस्तुत किया गया । इसके साथ श्री वलेजा का वकालतनामा अपने पक्ष में जारी भी मूलतः प्रस्तुत किया

गया। इस अभ्यावेदन में अनावेदक की ओर से उनके अधिकृत अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रश्नाधीन प्रकरण आवेदक के परिसर का दिनांक 11.01.2017 को निरीक्षण करने पर टैरिफ परिवर्तन एवं भार वृद्धि पाए जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अन्तर्गत पंचनामा 59/43 से प्रकरण बनाया गया था । उन्होंने तर्क दिया कि धारा 126 विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत बनाए गए प्रकरणों को विद्युत शिकायत निवारण फोरम या विद्युत लोकपाल द्वारा सुनवाई हेतु वर्जित किया गया है ऐसे प्रकरणों को सुनने का क्षेत्राधिकार विद्युत शिकायत निवारण फोरम या विद्युत लोकपाल को नहीं है इस संबंध में 2012(2) एमपीएलजे पेज नं0 518 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए है ''(क) विद्युत अधिनियम (2003 का 36), धाराएं 42(5), 126 एवं म0प्र0वि0वि0आ0 उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण के लिए फोरम एवं विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियमन, 2009, खंड 2(एम) – धारा 45(2) के अधीन स्थापित फोरम, विद्युत का अनाधिकृत उपयोग के संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायत का निपटान करने के लिए सशक्त नहीं है जैसा अधिनियम की धारा 126 के अधीन उपबंधित है – खंड 2(एम) में परिभाषित शिकायत शब्द विद्युत का अनाधिकृत उपयोग को उसके कार्यक्षेत्र से विनिर्दिष्टतः अपवर्जित करता है'' इस प्रकार अभ्यावेदनकर्ता का अभ्यावेदन विधि एवं प्रावधानों के अनुसार क्षेत्राधिकार विहिन होने से इसी स्तर पर निरस्त किए जाने योग्य है।

08. आवेदक/अनावेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 16.05.2019 को नियत की जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी किए गए । नोटिस के साथ आवेदक को अनावेदक अधिवक्ता से प्राप्त लिखित प्रत्युत्तर दिनांक 02.05.2019 मय संलग्न दस्तावेजों के प्रेषित की गई । दिनांक 16.05.2019 की सुनवाई में आवेदक की ओर से पुनः कोई उपस्थित नहीं हुआ । अनावेदक की ओर से अनावेदक अधिवक्ता श्री सी.के. वलेजा उपस्थित हुए । अनावेदक अधिवक्ता द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपने लिखित प्रत्युत्तर दिनांक 02.05.2019 में दिए गए तर्क को दोहराते हुए पुनः कथन किया कि प्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अन्तर्गत दर्ज होने के कारण आवेदनकर्ता का अभ्यावेदन विधि एवं प्रावधानों के अनुसार विद्युत लोकपाल के क्षेत्राधिकार में न होने के कारण इसी स्तर पर निरस्त किए जाने योग्य है ।

09. आवेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित अपीलीय अभ्यावेदन तथा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल के आदेश दिनांक 13.02.2018 में पारित आदेश तथा आवेदक द्वारा फोरम में प्रस्तुत अपनी शिकायत के संबंध में फोरम द्वारा संधारित नस्ती का अवलोकन करने से प्रथमदृष्टयाः स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन प्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 से संबंधित है, जो कि माननीय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के विनियम 'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), विनियम 2009' की कण्डिका 3.35 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत सुनवाई हेतु विद्युत लोकपाल के क्षेत्राधिकार से बाहर है तथापि इस संबंध में किसी निर्णय पर पहुंचने या विधिसम्मत निर्णय लिए जाने के लिए आवश्यक होगा कि आवेदक से उनका पक्ष विस्तृत एवं यथोचित रूप से सुना जाए, किन्तु आवेदक को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद आवेदक ने एक भी सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखा । आवेदक की लगातार अनुपस्थिति के कारण माननीय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के विनियम 'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), विनियम 2009' की कण्डिका 4.19 एवं 4.28 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को नस्तीबद्ध करने का निर्णय लिया जाता है ।

10. उभय पक्ष प्रकरण में हुए अपने–अपने व्यय को स्वयं वहन करेंगे । आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ पक्षकारों को अलग से सूचित किया जाए ।

विद्युत लोकपाल